रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122020-223935
CG-DL-E-26122020-223935

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942
No. 656] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.789 (अ).— राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानसिक रोग अस्पताल, रांची (नैदानिक मनोवैज्ञानिक, ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य योजना), भर्ती नियम, 1973 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में **नैदानिक मनोविज्ञानी** के पदपर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में **नैदानिक मनोविज्ञानी** (समूह 'ख'पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नैदानिक मनोविज्ञानी	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रुपए)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशो अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान अथवा नैदानिक मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) किसी मान्यताप्राप्त	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने परअथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे

विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा और सामाजिक मनोविज्ञान या चिकित्सा मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान में दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री (2 वर्ष का पाठ्यक्रम)। (iii) किसी मानसिक अस्पताल, चाइल्ड गाइडेंस क्लीनिक या किसी जनरल अस्पताल के मनष्चिकित्सीय विभाग में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में अथवा नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षक या अनुसंधान कर्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट।			कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जासकेगा जो:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष; 2. विशेषज्ञ श्रेणी–I का अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए. 12018/48/2017–एम ई]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2020

G.S.R. 789(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Hospital for Mental Diseases, Ranchi (Clinical Psychologist, Rural Mental Health Scheme), Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Clinical Psychologist** in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, **Clinical Psychologist** (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications. –** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Clinical Psychologist.	1* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-).	Not applicable.	30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential (i)Master Degree in Psychology or Clinical Psychology from a recognised University or institute. (ii)Master of Philosophy in Medical and Social Psychology or Medical Psychology or Clinical Psychology (2 years course) from a recognised University or institute. (iii) Two years experience as Clinical Psychologist in a Mental Hospital, Child Guidance Clinic or Psychiatric Department of a General Hospital or as a teacher or research worker in the field of Clinical Psychology. **Desirable:** Doctorate in Clinical Psychology from a recognised University or institute.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group B Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Chairman; 2.Officer of Specialist Grade –I, Central Institute of Psychiatry, Ranchi - Member; 3. Chief Administrative Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.12018/48/2017-ME]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.26 13:22:16 +05'30'